www.shriramedu.com

9414015200

श्रीराम कॉम्पिटिशन क्लासेज प्रा.लि. सीकर

An ideal institute for Competitive Exams

हैड ऑफिस: भाटी मेंशन, बजाज रोड, सीकर ✆ 01572-254777

HAND WRITTEN Classroom Coaching NOTES

Best Faculty Team + Super Coaching System + Personal care = श्रीराम कोचिंग, सीकर

विषय :- राजनीति विज्ञान

REET L-I & L-II

Date:

प्रधानमंत्री व मंत्रीपरिषद्

→ मंत्रीपरिषद् का उल्लेख :- अनु॰ 74, 75, 78 में है

→ अनुच्छेद 74 :- के अनुसार राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों में सहायता के लिए एक मंत्री परिषद् होगी। जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा।

→ अनुच्छेद 75 :- प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।

→ यदि किसी राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तो उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए बाध्य होता है।

→ यदि किसी राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है या इसका कोई निश्चित नेता नहीं है तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति स्वतंत्र होता है।

→ मंत्रीयों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा दी गई सूची के आधार पर करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है।

→ प्रधानमंत्री व मंत्रीपरिषद् का सामान्यतः कार्यकाल (5) वर्ष का होता है।

→ सभी मंत्रीपरिषद् का कार्यकाल लोकसभा पर तथा (1) मंत्री का कार्यकाल राष्ट्रपति पर निर्भर करता है।

→ क्यों कि लोकसभा मंत्रीपरिषद् को कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से पदमुक्त कर सकती है।

कैबिनेट मंत्री

भारत का पहला उपप्रधानमंत्री → सरदार पटेल
" " दूसरा → आडवाणी

→ एक मंत्री को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से नहीं हटाया जा सकता इसे पदमुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है।

→ भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है इसीलिए मंत्रीपरिषद् में सामूहिक उत्तरदायित्व पाया जाता है।

→ यही कारण है कि यदि एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाये तो सम्पूर्ण मंत्री परिषद् को त्यागपत्र देना पड़ता है।

→ इसीलिये कहा जाता है कि "मंत्रीपरिषद् रूपी जहाज एक साथ तैरता है व एक साथ डूबता है।"

Date:- 31/05/13

→ मंत्रीपरिषद् सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति तथा एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है।

→ प्रधानमंत्री मंत्रीपरिषद् का अध्यक्ष होता है। इसलिए यह मंत्रीपरिषद् के बैठकों की अध्यक्षता करता है, उनकी कार्यसूची तैयार करता है। व मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है।

→ प्रधानमंत्री योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद् व अन्तर्राज्यीय परिषद् व राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् का पदेन अध्यक्ष होता है।

→ 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत मंत्रीपरिषद् की अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित कर दी गई।

→ केन्द्रीय मंत्री परिषद् की अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती

→ भारत के मूल संविधान में केवल मंत्रीपरिषद् शब्द का उल्लेख है मंत्रिमण्डल का नहीं।

→ वर्तमान में भारतीय संविधान में केवल (1) बार मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है [अनु॰ 352 → 44वां सं. सं. 1978 के तहत जोड़ा गया।

→ मंत्रियों की (4) श्रेणियाँ होती हैं —
(1) केबिनेट मंत्री
(2) राज्य मंत्री
(3) उप मंत्री
(4) संसदीय सचिव

→ इन तीनों को सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद व केवल केबिनेट मंत्रियों को मंत्रिमंडल कहा जाता है।

→ प्रधानमंत्री व मंत्री बनने के लिए लोकसभा/राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।

→ कोई भी व्यक्ति जो कि संसद का सदस्य नहीं है, प्रधानमंत्री/मंत्री बन सकता है। परन्तु बनने के (6) माह के अन्दर किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक है।

→ पं॰ जवाहर लाल नेहरू का प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल [1947-64] है।
सबसे कम [1996 केवल 13 दिन] अटल बिहारी वाजपेयी

→ चौधरी चरण सिंह [1979] ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने बहुमत साबित करने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया। अर्थात (1) भी दिन लोकसभा का सामना नहीं किया।

→ विश्वनाथ प्रताप सिंह [V.P. सिंह] :- [1989] → ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत प्राप्त करने में असफल हुये।

[75-164
78-167]
अनुच्छेद राज्य

→ इन्दिरा गाँधी [1966], इन्द्रकुमार गुजराल [1997] व मनमोहन सिंह [2004, 2009] ऐसे प्रधानमंत्री बनें जो प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के सदस्य थे।

→ H.D. देवगौड़ा [1996] ऐसे प्रधानमंत्री बनें, जो प्रधानमंत्री बनते समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। (कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे)

→ भारतीय संविधान में उपप्रधानमंत्री पद की व्यवस्था नहीं है फिर भी कुछ व्यक्ति इस पद पर कार्य रह चुके है—

(1) सरदार पटेल [1947-1950] → नेहरू मंत्रिमंडल
(2) मोरारजी देसाई [1967-1969] → इन्दिरा मंत्रिमंडल
(3) चौधरी चरण सिंह व जगजीवन राम [1977-1979] → देसाई मंत्रिमंडल
(4) यशवन्तराव चव्हाण [1979-1980] → चरण सिंह मंत्रिमंडल
(5) देवीलाल [1989-1990] → विश्वनाथ प्रताप सिंह मंत्रिमंडल
(6) देवीलाल [1990-1991] → चन्द्रशेखर मंत्रिमंडल
(7) लालकृष्ण आडवाणी [2002-2004] → अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल

परिभाषाएँ :-

(1) "लॉवेल" :- "मंत्रीमंडल राजनीतिक भवन की आधारशिला है।"

(2) अम्बेडकर :- "प्रधानमंत्री मंत्रीपरिषद् रूपी भवन की आधारशिला है"

(3) ग्लैडस्टोन :- "केबिनेट वह सूर्य पिण्ड है। जिसके चारों ओर अन्य पिण्ड घुमते है।"

(4) सर जॉन मैरियट :- "मंत्रीपरिषद् वह धूरी है। जिस पर प्रशासन-चक्र घुमता है।"